परिशिष्ट

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3465
द्वारा - सुश्री हिना लिखीराम कावरे
सदन में उत्तर: 13.3.2018

मेसर्स डूसन पावर सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड़ गुड़गांव के नवीनीकरण प्रस्ताव स्वीकार न किये जाने के मुख्य कारणों का विवरण

1. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार पुराने विद्युत गृहों के नवीनीकरण के कार्य की लागत नये ताप विद्युत संयंत्र स्थापना लागत के 50%, से कम होनी चाहिये । यह सीमा लगभग 2.5 से 3.00 करोड प्रति मेगावाट है। डूसन पावर द्वारा इकाईयों के नवीनीकरण हेतु रू.3.83 करोड प्रति मेगावाट की दर दर्शाई गई थी जो कि इससे बहुत ज्यादा थी ।

2. डूसन पावर द्वारा ब्याज दर 9.5% दर्शाई गई थी, जो कि तत्कालीन स्थिति में अत्यन्त कम एवं अव्यवहारिक थी ।

3. तकनीकी दृष्टि से विशिष्ट तेल खपत अति आवश्यक मापदंड होता है जबकि डूसन पावर द्वारा विशिष्ट तेल खपत में संभावित सुधार नही दर्शाया गया था।

4. माननीय म.प्र. प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 70 से 85% पी.एल.एफ., एक मि.ली. प्रति किलोवाट तेल खपत तथा 13% ब्याज दर को आधार मानकर टैरिफ गणना करने के पश्चात आगामी 30 वर्षों तक भी (जो कि किसी भी नवीनीकृत इकाईयों के लिये संभव नहीं) डूसन द्वारा दर्शाया गया मॉडल लाभदायक नहीं होता।

5. माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा सतपुडा ताप विद्युत गृह की इन इकाईयों के लिये 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट हीट रेट निर्धारित किया गया था। डूसन पावर द्वारा आर एंड एम के पश्चात हीट रेट की गणना 2350 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट की गई जिसको हासिल करना संभव नहीं है ।

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल